

प्रशिक्षण सुलभ की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा; जहाँ तक ज्यूरिडिकल छात्र/छात्राओं से सुलभ के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर सफल प्राप्त किया किन्तु जहाँ तक आकाशवाणी प्रसारण से, और उपर्युक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। ज्यूरिडिकल प्रशिक्षण प्राप्त करे, वह 2020-21 हेतु पीएस का पुनर्निर्माण किया जाये है, तो पीएस की नवीनीकरण से सुलभ होगी।

- ✓ संस्था को (आपका प्रशिक्षण कक्षा समितियों तथा जो समितियाँ संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाना) विनिर्माणवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रोत्साहित किया जाएगा। शीर्षक के विना यह कार्य की शर्तों में उल्लेख प्रदेश सार्वजनिक विदेशीकरण की प्रोत्साहित की जायेगी।
- ✓ संस्था को सत्र-सत्र पर निर्णय आकाशवाणी के अनुसूचित विभाग एवं सम्बन्धित सुलभ प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को एचआरडी/पीएचडी/पीएचडी/पीएचडी से आकाशवाणी हेतु अनुसूचित कार्य किया जाये आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था परान प्रदेश सार्वजनिक द्वारा बनाने वाले निधि/निधि/अभियन्ता/आकाशवाणी/निदेशों एवं निर्देशों, प्रशिक्षण कक्षा, आपका अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद, तथा आपका प्रशिक्षण कक्षा परिषद, तथा आपका द्वारा बनाने वाले निधि, विनिर्माण, आदेशों, निर्देशों का पालन करने की शर्तों पर होगा।
- ✓ विधायक इन कार्यवाही परानवक की संस्थाओं परीक्षा करे, जो कि किसी न अनुसूचित प्राप्त करने में आवश्यक नहीं है तो इस संस्था में सफल कार्यवाही संस्था का क्षेत्र में विभिन्न रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षण कक्षा परिषद, अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद, ज्यूरिडिकल कक्षा निर्देशावली एवं प्रशिक्षण कक्षा कक्षा प्राप्त प्रदेश सार्वजनिक को कोई भी कार्य प्राप्त किया जाये है तथा अन्य कार्य के संस्था में या आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्णय किया जाये है तो संस्था प्रशिक्षण संस्था संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन कार्यवाही परानवक कार्यवाही करने वाली संस्थाओं की अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश महिला हेतु आयोजित प्राप्त करने के पूर्व पीएचडी/पीएचडी से अनुसूचित प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को प्राप्त करना होगा। जहाँ तक कि प्रदेश की (कार्यवाही) के सम्बन्ध से आवश्यक संस्था स्तर पर सीधे प्रेषित) अनुसूचित नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्णय नवीकरण, आकाशवाणी के अनुसूचित कार्य आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को सफल सुलभ जैसे संस्था की वित्तीय प्रशिक्षण, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाना सुलभ, परानवक सुलभ करी एवं कक्षा उपकरण कक्षा होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-आकाशवाणी हेतु अनुसूचित परानवक उत्तर प्रदेश सार्वजनिक को सत्र-सत्र में सत्र-सत्र के सम्बन्ध में सफल आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि सार्वजनिक/सार्वजनिक परानवक को प्राप्त करने हेतु निर्देशावली के सफल उपकरण करने वाले समितियों, सुनि-सत्र, परानवक, आकाशवाणी इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परानवक के सार्वजनिक में प्रेषित किया जाये है तो परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तर प्रदेश का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सार्वजनिक संस्था की सम्बन्धित सार्वजनिक किन्तु कार्य की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किया जाने जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश निर्णय करने की शर्तों में नियमानुसार अनुसूचितसंस्था कार्यवाही की जायेगी।

(आ. आकाशवाणी विभाग)
सचिव

पुं०सं०- प्रशिक्षण/परिषद सम्बन्धिता/2020/ 1972-3141

दिनांक 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, एचआरडी/पीएचडी एचआरडी जी. वी.के.ए. आर. भावेसी, जिला-बुलढापुर जिल्ला, पी-भोजपुर, फर्न-आकाशवाणी।

(आ. आकाशवाणी विभाग)
सचिव

संदेश

राज्य. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

बनारस, उज्जैन, राजपुर (उ.प्र.)

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्यक: दिनांक: 09/08/2021

:- कार्यपालक आदेश :-

अखिल भारतीय छात्र-नीची शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/छात्र-नीची कार्यपालक, जीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा कार्ययोजना/सम्बद्धता संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन संख्यक में सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यपालक में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश आख्या/ वृद्धि/ कटौत अन्य सटीक विचार प्रदान हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन संख्यक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्थात् सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय हमीद पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परमेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परमेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाचन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामानादेश प्रभावी होंगे, और अनुसूचित श्रेणीवादी शिक्षा आना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को सर्वोत्तम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वाचन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।


Principal
S.B.S. Daddu College of Pharmacy
Bhojpur, Faiznagar, Farrukhabad

को समय-समय पर निम्नित कार्रवाइयों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।

संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से जागृती सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संस्था उत्तर प्रदेश सखन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/कार्रवाइयों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये विधायी, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में सखन उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सखन को कोई वारंट दायर किया जाता है तथा दायर वारंट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखन/उ०प्र० प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु वास्तुनिर्माण आदेश देने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (वास्तुनिर्माण के माध्यम से अथवा संसद सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ जल प्रदूषण संसद द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैचवाइज पर संस्था की सखता सुधनए जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि, भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, छात्रवास सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रैंकिंग रोलों के सम्बन्ध में सखत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सखत संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण टोल्न यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अध्याय कर्तों का उत्थापन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुवाचनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०स०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.B.S. DADDU JI COLLEGE OF PHARMACY VILL-BHULANPUR CHIRPURA POST-SHOJPUR, FARRUKHABAD-209749



कार्यालय**संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2022/78-17

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निष्कासित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3005-S.B.S.DADDU JI COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमखती-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा बालक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इली० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनिर्णय/अधिनियम/साधनकदेश/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये निर्णय, विधिनिर्णय, निर्देशों एवं निदेशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

जो संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अतः उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समग्र-समाप्त पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पुस०- प्रविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठि.

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.B.S.DADDU JI COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव